न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण सख्या – 129/2025 (प्रार्थना पत्र)
दायर दिनांक – २५/11/2025
निर्णय दिनांक – २५/11/2025

अनवान

1. गोपीराम पिता हरूराम निवासी घोडातलाई तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

: : निर्णय : :

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है कि राजस्व ग्राम घोडातलाई पटवार मण्डल मदारिया के खाता संख्या 21 एवं 47 में सह खातेदारी भूमि स्थित है। उक्त खातें में प्रार्थी का नाम गोपी पुत्र हरीया दर्ज है जिसके स्थान पर प्रार्थी गोपीराम पिता हरूराम शुद्धि कराए जाने बाबत् निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जांच हेतु तहसीलदार, देवगढ़ को अग्रेषित किया गया। तहसीलदार, देवगढ़ की जांच रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम घोडातलाई पटवार मण्डल मदारिया के खाता संख्या 21 एवं 47 में गोपी पुत्र हरीया दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु प्रार्थी के आधार कार्ड, बैंक पास बुक में प्रार्थी का नाम गोपीराम पिता हरूराम दर्ज है। अतः राजस्व ग्राम घोडातलाई पटवार मण्डल मदारिया के खाता संख्या 21 एवं 47 में गोपी पुत्र हरीया के बजाय गोपीराम पिता हरूराम दर्ज किया जाने की अनुशंषा की गई।

–::आदेश::–

अतः धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए राजस्व ग्राम घोडातलाई पटवार मण्डल मदारिया के खाता संख्या 21 एवं 47 में गोपी पुत्र हरीया के स्थान पर गोपीराम पिता हरिया उर्फ हरूराम नाम दुरस्ती किए जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। यदि कोई न्यायालय स्थगन या राजकीय हित प्रभावित होता है तो तदानुसार कार्यवाही की जावे, अन्यथा निर्णय अनुसार पालना की जावे। यदि रहन का अंकन है तो तदनुसार अंकित रहेगा।

निर्णय आज दिनांक २५/11/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मोहक[illegible] R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
जिला राजसमन्द